# जिले में 5 से अधिक व्यक्तियों का एकत्र होना प्रतिबंधित धारा 144 का संशोधित आदेश संक्रमित व्यक्तियों को क्वारेंटाइन रखने के लिए 10 हजार बेड की व्यवस्था

**District :** dipr
**Department :**
**VIP Person :** General
Press Release
State News
**Attached Document :**
LK-22-03-2020-12.docx (http://103.203.138.54/news/195354/document/LK-22-03-2020-12.docx)

## DESCRIPTION

**जिले में 5 से अधिक व्यक्तियों का एकत्र होना प्रतिबंधित**
**धारा 144 का संशोधित आदेश**
**संक्रमित व्यक्तियों को क्वारेंटाइन रखने के लिए 10 हजार बेड की व्यवस्था**

जयपुर, 22 मार्च। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ.जोगाराम ने बताया कि कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए उठाए जा रहे कदमों के अन्तर्गत जिले में लगाई गई धारा 144 के तहत अब 22 मार्च से 31 मार्च तक किसी भी जगह 5 से अधिक व्यक्ति एकत्र नहीं हो सकेंगे। इसके साथ ही कुछ आवश्यक सेवाओं को छोड़कर शेष दुकानें-प्रतिष्ठान-संस्थान भी पूरी तरह बंद रहेंगे।

डॉ.जोगाराम ने बताया कि कोरोना वायरस संक्रमण से उपजी स्थिति को देखते हुए जिले में किसी भी जगह 5 से अधिक व्यक्तियों का एकत्र होना प्रतिबन्धित होगा। इस बारे में पूर्व में 20 व्यक्तियों की सीमा निर्धारित की गई थी जिसे संशोधित आदेश से 5 व्यक्तियों तक सीमित कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि जिले में दैनिक एवं जरूरी आवश्यकताओं से जुड़ी दुकानों-प्रतिष्ठानों को छोड़कर सभी दुकानें एवं प्रतिष्ठान भी पूरी तरह बंद रहेंगे। इस दौरान प्रमुख रूप से किराने की दुकाने, मेडिकल की दुकानें, फल -सब्जी की दुकानें, डेयरी एवं डेयरी के बूथ, पेट्रोल पम्प, एटीएम, बैंक, पोस्ट ऑफिसेज, गैस एजेंसीज, पेट्रोल पम्प आदि ही खुले रह सकेंगे।

जिला कलक्टर ने बताया कि सभी उपखण्ड अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि कोराना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए क्षेत्र में व्यापक प्रचार-प्रसार करें एवं लाउडस्पीकर लगे वाहनों के जरिए लोगों को घरों में रहने के लिए कहें। साथ ही इस कार्य में स्थानीय जन प्रतिनिधि पंच, सरपंच, जिला परिषद सदस्य, नगरपालिकाओं के पार्षद सभी से समन्वय रखें।

जिला कलक्टर ने बताया कि कोराना वायरस से संक्रमित व्यक्तियों को क्वारेंटाइन रखने के लिए जयपुर में 10 हजार बैड की व्यवस्था की गई है।

**नगर निगम को पका भोजन वितरण के निर्देश**

जिला कलक्टर ने बताया कि जरूरत मंद लोगों के लिए पके हुए भोजन की व्यवस्था नगर निगम द्वारा की जाएगी। निगम को शहर के 15 रैन बसेरा स्थलों, 24 अक्षय कलेवा स्थलों एवं 30 अन्नपूर्णा वेन के जरिए पका हुआ भोजन जरूरतमंद लोगों के लिए उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा भी आवश्यकता होने पर अन्यंत्र जगह यह भोजन निगम द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।

**फरवरी की पेंशन 31 तक**

जिला कलक्टर ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा पात्र व्यक्तियों को दी जाने वाली फरवरी की सामाजिक सुरक्षा पेंशन 31 मार्च से पहले ही उनके खाते में पहुंच जाएगी। इसी प्रकार मार्च की पेंशन अप्रेल माह के पहले सप्ताह में प्रदान कर दी जाएगी।

# SUPPORTING IMAGES

Copyright © 2016 Information and Public Relations Department. All Right Reserved.

Last Updated On: **18/4/2020**
You are visitor No.:

0016886l2

Website Policies (/content/dipr/en/websitepolicies.html) | Disclaimer (/content/dipr/en/disclaimer.html) |

Accessibility (/content/dipr/en/accessibility.html) | Sitemap (/content/dipr/en/sitemap.html)

**Nodal Officer**: **Sh. Arun Kumar Joshi**

**Designation : Joint Director(News)**

**Mobile Number : 9610409010**

**Email**: dpr-comp-rj@nic.in

This website belongs to Information and Public Relations Department

**We're on social networks**

(https://www.facebook.com/DIPRRajasthan) (https://twitter.com/dipr_rajasthan) (https://instagram.com/diprajasthan/) (https://www.youtube.com/channel/UC2oIZW3EmG59rjejhn

(https://validator.w3.org/) (https://jigsaw.w3.org/css-validator/check/referer)